16. In Form 7 to the principal rules, the following Note shall be inserted at the end, namely:-
'Note: In the table of this Form,-
(i) "A/ I" refers to agricultural land;
(ii) "H/B" refers to House building;
(iii) "S/C" refers to Shop or commercial'.

[F. No. 37/32/2017-EP]

A. V. DHARMA REDDY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 205(E), dated the 19th March, 2015.

(स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2018

सा.का.नि. 257(अ).—केन्द्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शत्रु संपत्ति के रूप में अभिरक्षक में निहित संपत्ति को (जो शत्रु संपत्ति नहीं है) ऐसे व्यक्ति को जिससे ऐसी संपत्ति का अर्जन किया गया था और अभिरक्षक में निहित हुई थी, का अंतरण करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** -(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संपत्ति अंतरण (अभिरक्षक में शत्रु संपत्ति के रूप में निहित) आदेश, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **अधिनियम की धारा 18 के अधीन अभ्यावेदन करने की रीति और अवधि.-**

(1) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अभिरक्षक में निहित संपत्ति के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से या ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, जो पहले हो, शत्रु संपत्ति से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव को (इसमें इसके पश्चात् यथा संबंधित संयुक्त सचिव कहा गया है) अभ्यावेदन कर करता है ।

(2) प्रत्येक ऐसे अभ्यावेदन के साथ निम्नलिखित होंगे :-

(i) संपत्ति का ब्यौरा जिसके अंतर्गत जिले का नाम, उपखंड का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डाकघर का नाम, ब्लाक या तहसील का नाम, अंतरणीय संपत्ति के निहित होने की तारीख जिसका अंतरिती द्वारा स्वामी होने का दावा किया गया है ;

(ii) संपत्ति से संबंधित सुसंगत राजस्व अभिलेख की प्रतियां ;

(iii) संपत्ति के संबंध में दावे, यदि कोई हो, के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य ;

(iv) भारत के नागरिक होने के समर्थन में साक्ष्य ;

(v) संपत्ति के अधिभोगी का नाम, पता और अन्य विवरण, उसकी स्थिति, अंतरिती के साथ उसका संबंध और अन्य सुसंगत विवरण ;

(vi) संपत्ति और अंतरिती के समर्थन में कोई अन्य सूचना या दस्तावेज ।

3. **अभिरक्षक में निहित (जो शत्रु संपत्ति नहीं है) संपत्ति के अंतरण की प्रक्रिया.**- (1) संबंधित संयुक्त सचिव पैरा 2 के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट अभिरक्षक में शत्रु संपत्ति के रूप में किसी संपत्ति को निहित करने संबंधी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति से कोई अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, अभिरक्षक सहित सभी संबंधित व्यक्तियों को, उनसे प्रत्युत्तर, सभी दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने और स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए न्यूनतम तीस दिनों की सूचना देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति जिससे ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी, सुनवाई के लिए, कार्यवाई आरंभ करेगा ।

(2) यदि कोई पक्षकार सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर उपस्थित होने में असफल होता है, द्वितीय और अंतिम सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से तामील की जाएगी और यदि, वह दूसरी सूचना के पश्चात् उपस्थित होने में दोबारा असफल होता है तो कार्यवाहियां एकपक्षीय सुनी जाएगी और उन कारणों को अभिलेख कर लिया जाएगा।

(3) कार्यवाहियां पूर्ण होने पर, ब्यौरे, जिसके अंतर्गत अभिसाक्ष्य भी है, पक्षकारों को दिए जाएंगे।

(4) संबंधित संयुक्त सचिव साक्ष्य परीक्षण और अतिरिक्त रिपोर्ट मांगने और जो जांच आवश्यक हो, करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् उक्त आदेश की प्रति पक्षकारों को भेजेगा।

4. **अभिरक्षक द्वारा संपत्ति का अंतरण**.- अभिरक्षक शत्रु संपत्ति के रूप में संपत्ति न मानने के संयुक्त सचिव के आदेश की प्राप्ति पर उसमें निहित ऐसे संपत्ति के अपने पूर्व आदेश को वापिस लेगा और उसी लोकाधिकार क्षेत्र में प्रदर्शित करेगा तथा संबंधित पक्षकारों और जिला प्राधिकारी को अभिलेख संशोधन करने के लिए उसकी प्रति भेजेगा।

[फा. सं. 37/32/2017-ईपी]

ए. वी. धर्मा रेड्डी, संयुक्त सचिव

(FREEDOM FIGHTER AND REHABILITATION DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 21st March, 2018

G.S.R. 257(E).—In exercise of powers conferred by section 18 of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968) , the Central Government hereby makes the following order for specifying the procedure for transferring property (not being an enemy property) vested in the Custodian as enemy property, to the person from whom such property was acquired and vested in the Custodian, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Transfer of Property (Vested as Enemy Property in the Custodian) Order, 2018.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Manner and period of making a representation under section 18 of the Act .-

(1) Any person aggrieved by an order of vesting a property in the Custodian under the Act and the rules made there under may make a representation to the Joint Secretary in the Ministry or Department of the Government of India dealing in matters relating to enemy property , (hereinafter referred to as the "concerned Joint Secretary") within a period of thirty days from the date of receipt of such order or from the date of its publication in the Official Gazette, whichever is earlier.

(2) Every such representation shall be accompanied by the following, namely:-

(i) details of the property (including district name, sub-division name, police station name, post office name, block or tehsil name, date of vesting of transferable property) claimed to be owned by the transferee;

(ii) copies of relevant revenue records relating to the property;

(iii) documentary evidence in support of the claim, if any, in respect of the property;

(iv) evidence in support of being citizen of India;

(v) name, addresses and other details of the occupant of the property, their status, their relationship with the transferee and other relevant details;

(vi) any other information or document in support of the property and the transferee.

3. Procedure for transfer of property (which is not an enemy property) vested in the Custodian.- (1) The concerned Joint Secretary shall, on receipt of a representation from a person aggrieved by an order vesting a property as enemy property in the Custodian referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 2, initiate process for giving hearing to the person from whom such property was acquired after giving at least thirty days' notice to all concerned including the Custodian, requiring them to submit a reply, produce all documentary evidence and appear in person or through an authorised representative.

(2) If any party fails to appear on the date fixed for hearing, a second and final notice shall be served through

registered post and if he again fails to appear after the second notice, then the proceedings shall be heard *ex-parte* and the reasons thereof shall be recorded.

(3) On completion of the proceedings, the details including depositions shall be furnished to the parties.

(4) The concerned Joint Secretary shall, after examining the evidence and calling for further reports and inquiry as may be necessary, pass such orders thereon as he thinks fit, and a copy of the said orders shall be sent to the parties, after approval of the Central Government.

4. Transfer of property by the Custodian.- The Custodian, on receipt of the order of the Joint Secretary to treat the property not as an enemy property, shall revoke his earlier order vesting such property in him and publish the same in public domain and send a copy thereof to the concerned parties and to the District Authority for amending its records.

[F. No. 37/32/2017-EP]

A V DHARMA REDDY, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2018

सा.का.नि. 258(अ).—केन्द्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 8क की उपधारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन भारत में शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति (जंगम और स्थावर) का निपटान करने के लिए निम्निलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) ये आदेश शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **अभिरक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार को सभी शत्रु संपत्तियों की सूची प्रस्तुत किया जाना** – अभिरक्षक द्वारा सभी निहित शत्रु संपत्तियों (जंगम और स्थावर) की सूची, इस आदेश के प्रकाशन से तीन मास के भीतर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की जाएगी ।

3. **स्थावर शत्रु संपत्तियों का मूल्यांकन** – (1) स्थावर शत्रु संपत्ति के मूल्यांकन के उद्देश्य से, जिला स्तर पर एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिले का जिला मजिस्ट्रेट जहां संपत्ति स्थित है......अध्यक्ष

(ख) जिले का रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार.......सदस्य

(ग) सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी का अधीक्षक/कार्यपालक इंजीनियर.......सदस्य

(2) समिति, उस क्षेत्र की सर्कल दर, जहां संपत्ति स्थित है, या अन्य मूल्यांकन रीतियों के साथ संपत्ति के मूल्यांकन की रीति के रूप में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर विचार करेगी ।

4. **शत्रु संपत्तियों के मूल्यांकन रिपोर्ट की सुपुर्दगी-** अभिरक्षक मूल्याकंन समिति से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर शत्रु संपत्ति के साथ-साथ उनके मूल्यांकन की राज्यवार सूची तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

5. **शत्रु संपत्ति का निपटान करने के लिए समिति का गठन-** केन्द्रीय सरकार एक समिति का गठन करेगी जो शत्रु संपत्ति निपटान समिति के रूप में जानी जाएगी, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) शत्रु संपत्ति से संबंधित मंत्रालय या विभाग का अपर सचिव, भारत सरकार...................................अध्यक्ष

(ख) शत्रु संपत्ति से संबंधित मंत्रालय या विभाग का अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार...................................सदस्य

(ग) वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का संयुक्त सचिव.........सदस्य